भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-225
उत्तर देने की तारीख-04/12/2023

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बी.आर.सी. कर्मचारियों को मानदेय

225. श्री सुनील बाबूराव मेंढे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी) पर कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समग्र शिक्षा की एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। योजना के तहत, खंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय सहित योजना के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा तय किए गए निधि हिस्सेदारी पैटर्न पर आधारित है।

योजना के अंतर्गत, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं और यह उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में परिलक्षित होता है। इसके बाद इन योजनाओं का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रमगत और वित्तीय मानदंडों, पूर्व में स्वीकृत कार्यकलापों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार मूल्यांकन और अनुमोदन/प्राक्कलन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और खंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) में कार्यरत कर्मचारियों सहित शिक्षा विभाग के समस्त कर्मचारियों की वेतन संरचना/मानदेय मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत समुचित सरकार है।

****